बिहार सरकार
पथ निर्माण विभाग

कार्यालय आदेश - 147

का०आ०सं०–निग / सारा–1 (पथ) आरोप–19 / 2008 पटना, दिनांक 10/6/28

श्री सुरेश कुमार, तत्कालीन कनीय अभियंता, पथ प्रमंडल संख्या–01, औरंगाबाद सम्प्रति सेवानिवृत द्वारा पीरो–वनतारा पथ कार्य के उड़नदस्ता संख्या–01 के प्रारंभिक जाँच प्रतिवेदन में पायी गयी अनियमितता तथा जाँच के समय अनुपस्थिति के आरोप के लिए तदेन प्रधान सचिव महोदय के आदेश से विभागीय कार्यालय आदेश संख्या–270–सहपठित ज्ञापांक–4938 (ई०), दिनांक 05.12.2008 के द्वारा तत्काल प्रभाव से निलंबित करते हुए उनके विरूद्ध आरोप पत्र निर्गत किये जाने का निर्णय लिया गया था।

2. CCA Rule 2005 के Rule-9 (7) में विहित प्रावधान के आलोक में निलंबित किये जाने के 07 (03+04) माह के अन्दर आरोप पत्र गठन कर आरोपी से स्पष्टीकरण की मांग किया जाना आवश्यक है, लेकिन इस मामले में उड़नदस्ता प्रमंडल संख्या–01 के प्रारंभिक जाँच प्रतिवेदन के आधार पर उनसे 07 (सात) माह पश्चात आरोप–पत्र गठित कर विभागीय पत्रांक–7921 (एस), दिनांक 17.07.2009 द्वारा श्री कुमार से बचाव–बयान की मांग की गयी। हाँलांकि उक्त स्पष्टीकरण निर्गत किये जाने से पहले ही श्री कुमार द्वारा 07 माह के भीतर आरोप पत्र निर्गत नहीं हो पाने के आलोक में दिनांक 07.07.2009 को योगदान समर्पित किया गया। उनके योगदान समर्पित किये जाने के आलोक में समीक्षोपरांत निलंबन के सात माह पूर्ण होने की तिथि 05.07.2009 के प्रभाव से कार्यालय आदेश संख्या–358–सहपठित ज्ञापांक–4369 (ई०) दिनांक 18.11.2009 के द्वारा निलंबन मुक्त करते हुए यह निर्णय लिया गया कि विभागीय कार्यवाही के फलाफल के आधार पर श्री कुमार के निलंबन अवधि का विनियमन किया जायेगा।

3. उल्लेखनीय है कि इस समयान्तराल में आलोच्य पथ की गुणवत्ता जाँच प्रतिवेदन भी दिनांक 30.06.2009 को प्राप्त हो गया। श्री कुमार के निलंबन से मुक्ति संबंधी उक्त आदेश प्राप्त करने के क्रम में अभियंता प्रमुख–सह–अपर आयुक्त–सह–विशेष सचिव के द्वारा किये गये विस्तृत समीक्षा एवं उनके द्वारा दिये गये प्रस्ताव के आलोक में निलंबन मुक्ति एवं उसके विनियमन शर्त्त के अलावा कार्रवाई हेतु निम्नलिखित बिन्दुओं पर आदेश प्राप्त हुआ :--

(i) कनीय अभियंता की अनुपस्थिति के संबंध में कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमंडल, औरंगाबाद से पूछा जा सकता है कि उनके वेतन का भुगतान माह–जून 2007 में पूर्ण माह के लिए किया गया है अथवा कम अवधि के लिये। यदि पूर्ण माह के लिये वेतन का भुगतान किया गया है तो यह अनुपस्थिति नहीं मानी जा सकती है।

(ii) कार्यपालक अभियंता से यह पूछा जा सकता है कि कनीय अभियंता को जाँचदल के समक्ष उपस्थित रहने को कोई निदेश निर्गत किया गया था अथवा नहीं ?

(iii) पूर्व में निर्गत आरोप पत्र के आलोक में बिन्दुवार बचाव–बयान समर्पित करने हेतु आरोपित कनीय अभियंता को निदेश दिया जा सकता है।

4. उपर्युक्त कंडिका–3 (i) एवं (ii) का अनुपालन करते हुए कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमंडल संख्या–01, औरंगाबाद से वांछित सूचना की मांग की गयी । इसी तरह कंडिका–3 (iii) का अनुपालन करते हुए श्री सुरेश कुमार, कनीय अभियंता को बचाव बयान समर्पित करने का निदेश दिया गया। सम्प्रति कार्यपालक अभियंता पथ प्रमंडल संख्या–01, औरंगाबाद से वांछित सूचना संबंधित प्रतिवेदन प्राप्त हुआ। साथ ही श्री सुरेश कुमार, सेवानिवृत कनीय अभियंता द्वारा अपना बचाव का लिखित

अभिकथन भी समर्पित किया गया। श्री कुमार के विरूद्ध गठित आरोप का अवलोकन निम्न कंडिकाओं से किया जा सकता है :–

आरोप संख्या–01

उड़नदस्ता प्रमंडल संख्या–01 द्वारा पथ प्रमंडल संख्या–01 औरंगाबाद अन्तर्गत पीरो–वनतारा पथ के किये गये निरीक्षण में निम्न त्रुटियॉ पाई गई :–

(क) पीरो–वनतारा पथ के प्रथम कि०मी० में कराये गये जी०एस०बी० कार्य की मोटाई प्रावधानित 250 एम०एम० के विरूद्ध जॉच दल द्वारा 100 एम०एम० पाया गया।

(ख) उक्त पथ के कि०मी० 3 में रघुनाथपुर गाँव के पास अधूरा निर्मित एच०पी० कल्भर्ट के बेड कंक्रीट की मोटाई पाईप के नीचे 238 एम०एम० पाया गया जबकि प्रावधान 435 एम०एम० का था।

(ग) उक्त पथ के कि०मी० 7 में श्री जगदम्बा प्रसाद सिंह के घर के नजदीक कराये गये जी०एस०बी० कार्य की मोटाई प्रावधानित 250 एम०एम० के विरूद्ध जाँच दल द्वारा 145 एम०एम० पाया गया।

(घ) उक्त पथ के कि०मी० 13 में आरा मशीन के सामने के चौड़ीकरण भाग में कराये गये जी०एस०बी० कार्य की मोटाई 250 एम०एम० प्रावधान के विरूद्ध 175 एम०एम० पाया गया।

इस प्रकार स्पष्ट है कि आपके द्वारा विशिष्टि के अनुरूप कार्य को नहीं कराया गया है, जिसके लिए आप दोषी है।

आरोप संख्या–02

उड़नदस्ता प्रमंडल संख्या–01 द्वारा प्रभाराधीन पीरो–वनतारा पथ में दिनांक 20.06.2007 एवं 21.06.2007 को किए गए निरीक्षण के दौरान श्री कुमार अनुपस्थित पाये गये तथा इस अनुपस्थिति के संबंध में न तो कार्यपालक अभियंता और न ही सहायक अभियंता द्वारा कोई सूचना दी जा सकी। इस प्रकार श्री कुमार अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित थे, जिसके लिए वे दोषी है।

5. उपर्युक्त आरोप के लिए श्री सुरेश कुमार ने पत्र दिनांक 24.12.2025 से अपना लिखित अभिकथन समर्पित किया है। उनके लिखित अभिकथन में रखे गये तथ्य निम्नवत् है :–

(i) उपर्युक्त स्पष्टीकरण के साथ मुझे उड़नदस्ता प्रमंडल संख्या–01 का जाँच प्रतिवेदन नहीं प्राप्त हुआ था, फलतः मैंने पत्र दिनांक 30.07.2009 से जाँच प्रतिवेदन की प्रति उपलब्ध कराने का अनुरोध किया, लेकिन मुझे जाँच प्रतिवेदन की प्रति नहीं उपलब्ध कराया गया। मुझे लगा कि यह मामला निष्पादित हो चुका है।

(ii) प्रासंगिक पत्र के माध्यम से मुझे उक्त आरोप–पत्र (प्रपत्र–"क") के साथ उड़नदस्ता प्रमंडल संख्या–01 का जाँच प्रतिवेदन भी प्राप्त हुआ है। अतः गठित किये गये आरोपों के संबंध में मेरा बचाव–बयान निम्नवत है :–

(a) जाँच प्रतिवेदन के अनुसार पीरो–वनतारा पथ के प्रथम कि०मी० में GSB की मुटाई 100mm पायी गई है एवं लिखा गया है कि बिछाये हुए एवं बचे हुए GSB का कुछ अंश यहाँ से हटाया गया है। इसी पथ के कि०मी० 2 में GSB की मुटाई 276mm पायी गयी।

(b) कि०मी० 3 में HP Culvert के बेड कंक्रीट की मुटाई 238mm है जबकि प्रावधानानुसार यह 435mm होना चाहिए। उल्लेखनीय है कि इस अंश में GSB कार्य नहीं कराया गया था। कि०मी० 4 में GSB की मुटाई 335mm से 309mm पायी गई जो प्रावधान से अधिक है। इसी तरह कि०मी० 5 में

GSB की मुटाई 240mm पायी गई जो प्रावधान से 10mm कम है तथा यह tolerance limit के अन्दर है। इस कि०मी० के अन्य बिन्दुओं पर GSB की मुटाई 308mm पायी गयी है।

(c) कि०मी० 06 में भी GSB की मुटाई 360mm एवं 330mm दो जगहों पर पायी गई है और एक जगंह पर GSB की मुटाई 145mm पायी गयी हैं कि०मी० 10 में ग्रीन कंक्रीट की मुटाई 110mm पायी गयी है, जो प्रावधानित 435mm से कम है। कि०मी० 13 में GSB की मुटाई एक जगह पर 110mm पायी गयी है और दो जगहों पर GSB की मुटाई 278mm पायी गई है। GSB की मुटाई अन्य बिन्दुओं पर 175mm पायी गयी है।

(d) उल्लेखनीय है कि पथ के सम्पूर्ण लंबाई में 4 जगहों पर GSB की मुटाई 250mm से कम एवं 6 बिन्दुओं पर GSB की मुटाई अपेक्षित 250mm से बहुत अधिक पायी गई है। जाँच प्रतिवेदन में कार्य में सुधार करने, कुछ बिन्दुओं पर GSB नहीं होने एवं GSB में सुधार करना प्रतिवेदित किया गया है। इससे स्पष्ट है कि जाँच के समय GSB कार्य प्रगति पर था। इसके ऊपर के लेयर का काम नहीं हुआ था। कार्य चूंकि प्रगति में था। अतः GSB कार्य में पायी गई उपर्युक्त त्रुटियों में सुधार की संभावना थी तथा इसे सुधारा भी गया है।

(e) इसी तरह पथ के कि०मी० 3 में H.P. Culvert के बेड कंक्रीट की मुटाई पाईप के नीचे प्रावधानित 435mm से कम 238mm पाये जाने के संबंध में उल्लेखनीय है कि जाँच प्रतिवेदन में अंकित है कि –Culvert के बेड कंक्रीट का नमूना काट कर लिया गया है। स्पष्ट है कि इस संबंध में मामले की गुणवत्ता जाँच भी करवाई गई होगी। बिना गुणवत्ता जाँच के इस आरोप के लिए मैं अपना बचाव–बयान देने में असमर्थ पाता हूँ।

(f) जहाँ तक उड़नदस्ता जाँच के समय अर्थात दिनांक 20.06.2007 से 21.06.2007 तक अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने का आरोप है, उल्लेखनीय है कि इस संबंध में मेरा दो अभ्यावेदन दिनांक 27.07.2009 एवं दिनांक 21.08.2009 विभाग को समर्पित है, जिससे विषयांकित कार्य के उड़नदस्ता जाँच के समय (दिनांक 20.06.2007 से 22.06.2007 तक) अनुपस्थित रहने के कारणों को मैंने साक्ष्य के साथ प्रस्तुत किया है। अतः इस आरोप के लिए उक्त अभ्यावेदन में अंकित तथ्यों को ही मेरा बचाव–बयान माना जाय।

6. उपर्युक्त कंडिका– 3 (i) के सदंर्भ में कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमंडल संख्या– 01, औरंगाबाद के द्वारा अद्यतन प्रतिवेदन में अंकित किया गया है कि–**"पथ अवर प्रमंडल, दाउदनगर से अनुपस्थित विवरणी अप्राप्त रहने के कारण माह जून 2007 का वेतन भुगतान नहीं किया गया । इस कार्यालय के पत्रांक–69, दिनांक 19.01.2011 के द्वारा श्री कुमार, तत्कालीन कनीय अभियंता का अनुपस्थिति विवरणी कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमंडल सीतामढ़ी को उपलब्ध कराया गया, जिसकी प्रति कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमंडल समस्तीपुर को भी दी गयी । माह जून 2007 का वेतन भुगतान से संबंधित पत्राचार कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमंडल, सीतामढ़ी से किया जा सकता है।"**

इसी तरह उपर्युक्त कंडिका–3 (ii) के संदर्भ में कार्यपालक अभियंता द्वारा अंकित किया गया है कि–**" श्री सुरेश कुमार, तत्कालीन कनीय अभियंता सम्प्रति सेवानिवृत कनीय अभियंता को जाँच दल के समक्ष उपस्थित रहने हेतु कोई अभिलेख इस कार्यालय में उपलब्ध नहीं है।"**

7. श्री कुमार को माह जून–2007 के वेतन भुगतान के संबंध में कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमंडल, समस्तीपुर से एक प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है, जिसके साथ संलग्न श्री कुमार के अन्तिम वेतन

प्रमाण–पत्र की अभिप्रमाणित छायाप्रति में अंकित है कि **"इन्हें दिनांक 04.12.2008 तक का वेतन भुगतान किया जा चुका है।"** जाँच दल के समक्ष उपस्थित रहने संबंधी अभिलेख चूकि प्रमंडलीय कार्यालय में उपलब्ध नहीं है, तो इस संबंध में श्री कुमार के तर्क को माना जा सकता है।

गुणवत्ता के संबंध में पूर्व में ही तदेन अभियंता प्रमुख के द्वारा गुणवत्ता प्रतिवेदन के आधार पर श्री सुरेश कुमार को निलंबन मुक्त किये जाने समय मामले की समीक्षा की गयी है तथा पाया गया है कि–**"समग्र बिन्दुओं को तकनीकी दृष्टि पर देखने से ऐसा मामला नहीं बनता है कि कनीय अभियंता द्वारा विशिष्टियों का उल्लंघन किया गया है। कार्यपालक अभियंता, सहायक अभियंता और गुण नियंत्रण ईकाई निदेशक इत्यादि इसके लिये जवाबदेह होते है। अन्य लोगों पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है और मात्र निलंबित अभियंता को ही पुनः निलंबन की कार्रवाई की जा रही है।**

मेरा अभिमत है कि कनीय अभियंता को दुबारा निलंबित करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि दोनों आरोप पूर्णतः प्रमाणित नहीं है। आरोप संख्या–1 में जो आरोप लगाये गये है वह मात्र GSB से संबंधित है, जो जाँच के समय अधिकांश प्रगति में दिखाया गया है। हाँ, एक मामले में जहाँ कंक्रीट की मुटाई 435mm एवं 235mm पायी गयी है, इसके लिए कार्यपालक अभियंता एवं सहायक अभियंता दोनों दोषी हैं जाँचफल में जो कंक्रीट का अनुपात दिखाया गया है वह बहुत गड़बड़ है अर्थात सीमेंट की मात्रा कम परिलक्षित होता है। जाँच पदाधिकारी द्वारा यह नहीं बताया गया कि किस calcium content के आधार पर यह जाँचफल है, क्योंकि 1 : 6 : 8 का कोई भी कंक्रीट टूटकर विखर जायेगा। जाँच पदाधिकारी द्वारा यह भी नहीं बताया गया है कि कंक्रीट की Stablity क्या थी और कंक्रीट के Strength की जाँच भी की गयी या नही ? इसलिए कंक्रीट का जाँचफल अधूरा माना जा सकता है।"

उपर्युक्त समीक्षात्मक निष्कर्ष एवं कार्यपालक अभियंताओं द्वारा अद्यतन प्राप्त प्रतिवेदन के आलोक में श्री सुरेश कुमार, तत्कालीन कनीय अभियंता, पथ प्रमंडल संख्या–01, औरंगाबाद सम्प्रति सेवानिवृत के विरूद्ध आरोप प्रमाणित पाये जाने का कोई युक्तिसंगत अवसर प्रतीत नहीं होता है। अतः इनके लिखित अभिकथन को स्वीकार करते हुए इन्हें आरोप से मुक्त किया जाता है। साथ ही इस प्रकरण में उनके निलंबन अवधि दिनांक 05.12.2008 से 04.07.2009 तक को पूर्ण वेतन भत्तों के साथ सभी प्रयोजनार्थ कर्त्तव्य अवधि के रूप में विनियमित किया जाता है।

प्रस्ताव पर अभियंता प्रमुख (मु०), पथ निर्माण विभाग का अनुमोदन प्राप्त है।

ह०/–
सरकार के उप सचिव,
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक :– निग/सारा–1 (पथ) आरोप–19/2008 पटना, दिनांक.........................

प्रतिलिपि :– अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग/भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना/पथ निर्माण विभाग/अभियंता प्रमुख (मु०), पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना/ सभी मुख्य अभियंता, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना/अधीक्षण अभियंता, पथ निर्माण विभाग, मगध पथ अंचल, गया/कार्यपालक अभियंता, पथ निर्माण विभाग, पथ प्रमंडल संख्या–01, औरंगाबाद/उप सचिव (प्रभारी प्रशाखा–3), पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना/अवर सचिव (लेखा/मुख्यालय) पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना/रोकड़ शाखा/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–03/13/14 एवं **श्री सुरेश कुमार, तत्कालीन कनीय अभियंता, पथ प्रमंडल संख्या–01, औरंगाबाद सम्प्रति सेवानिवृत** को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/–
सरकार के उप सचिव,
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक :– निग/सारा–1 (पथ) आरोप–19/2008 4041 (S) पटना, दिनांक 10/6/2016

प्रतिलिपि :– आई0टी0 मैनेजर, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना को विभागीय web-site पर प्रदर्शित करने हेतु प्रेषित।

10-6-2016

सरकार के उप सचिव,
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

E/Nigrani Section/2011-12/Deepak Kumar/Adhisuchna/k.Adesh